प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 25.03.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 अभियुक्तों को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 40,000/-40,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 अभियुक्तों को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व 40,000/-40,000/- रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.02.2023 को वादिनी रीना पत्नी कन्हैया उर्फ गौरव निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसके गाँव के ही गौरव व सौरभ द्वारा वादिनी के पति के साथ मारपीट की गयी जिससे वादिनी के पति कन्हैया उर्फ गौरव की मृत्यु हो गयी। सूचना पर तत्काल **थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 12/2023 धारा 302/34/201/506 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अंकुश कुमार राघव थानाध्यक्ष बसरेहर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 सन्दीप कुमार यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.03.2025 को मा0 न्यायालय ADJ-9 इटावा द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा 302/34/201/506 भादवि में **आजीवन कारावास की सजा व 40,000/-40,000/- रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधीगण-

1. **गौरव कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा।**
2. **सौरभ कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा।**